छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में समाचार पत्रों की भूमिकां

श्रीमती ऋतु सिन्हा (शोधार्थी), डॉ अजय सिंह (डीन एवं सहायक प्राध्यापक) इतिहास विभाग भारती विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

sinha-ritu1515@gmail-com- singh-ajai3@gmail-com

प्रस्तावना

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1857 में छत्तीसगढ़ में आजादी की लड़ाई बड़ी वीरता के साथ लड़ी थी। छत्तीसगढ़ में हुए समस्त आन्दोलनों में वहां की जनता एवं राजनेताओं ने अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके लिए वह सदैव याद किए जाते रहेंगे। इतिहास में उनका स्थान अमर रहेगा जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर आजादी प्राप्त की। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के अमर शहीदों ने देश को स्वतंत्र करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम की नींव 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ही रखी गई। इस समय वीर नारायण सिंह और उनके सहयोगियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। पूरे छत्तीसगढ़, विशेषकर बिलासपुर अंचल में यह विद्रोह गांव–गांव, घर–घर में फैल गया। यद्यपि 1857 की क्रांति अस्थायी रूप से दबा दी गई, फिर भी इसके प्रभाव ने जनमानस में स्वतंत्रता की चिंगारी को जीवित रखा। जनता का जागरूक होना, विद्रोह की आंतरिक सुलगती आग और पत्रकारिता की भूमिका इस समय स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया ने प्रांत को सदैव प्रभावित किया । सर्वप्रथम 1856 में सोना खान के युवा जमीदार नारायण सिंह ने देश प्रेम की भावना का परिचय दिया। 1857 की क्रांति के समय उनके नेतृत्व में इस प्रांत में आरंभ किए गए आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से कुचला गया। 20 वीं शताब्दी में अहिंसात्मक आंदोलन ने छत्तीसगढ़ में जोर पकड़ा , यद्यपि 1942 के भारत भारत छोड़ो आंदोलन में युवा वर्ग ने अत्यंत उत्साह पूर्वक कार्य किया, जिनका नेतृत्व स्वर्गीय माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा ,ई राघवेंद्र राव ,पंडित रामदयाल तिवारी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रत्नाकर झा ,स्वर्गीय जय नारायण पांडे आदि महान विभूतियां के द्वारा किया गया यहां के लोगों को देश के ख्याति प्राप्त नेताओं के मार्गदर्शन का भी सौभाग्य मिला। महात्मा गांधी ,पंडित जवाहरलाल नेहरू ,डॉ राजेंद्र प्रसाद, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, आचार्य विनोबा भावे, वी वी गिरी आदि महान विचारकों के विचारों से यह धरती प्रभावित हुई।

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में समाचार पत्रों की भूमिका

"केसरी" के संपादक बाल गंगाधर तिलक और "अमृत बाजार पत्रिका" के संपादक मोतीलाल घोष के विचारों का छत्तीसगढ़ की जनता पर विशेष प्रभाव था । 1894 में रायपुर स्टेशन पर मध्य प्रांत के नए चीफ कमिश्नर का स्वागत करने के लिए क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक और राजा तथा जमींदार उपस्थित थे, जिनका पुलिस के सिपाहियों के द्वारा अनादर किया गया । इस संबंध में नागपुर से प्रकाशित एक पत्र देश सेवक ने यह टिप्पणी की कि,'गत वर्ष दरबार के एक प्रसंग पर गोरे अफसर ने छुई खदान के राजा साहब के साथ दुर्व्यवहार किया , इसी बात को रायपुर में फिर से दोहराया गया क्या हमारे के कमिश्नर साहब इसकी जांच का स्पष्टीकरण देंगे? इस प्रकार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में समाचार पत्रों ने विशेष भूमिका निभाई । 1900 में माधवराव सप्रे तथा रामराव चिंचोलकर की सहायता से पेंड्रा नामक स्थान से छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र निकाला। इस पत्र में राष्ट्रीयता की भावना का काफी जोरशोर से प्रचार किया गया । सप्रे जी के प्रयासों से ही 1960 में नागपुर से हिंद केसरी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगा इस पत्र के द्वारा केसरी में प्रकाशित लेखों का हिंदी में अनुवाद किया जाने लगा किंतु यह समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के कोप का भाजन बने । माधव राव को 1908 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उस समय के बाद यह पत्र बंद कर दिए गए। इन समाचार पत्रों के माध्यम से विदेशी शासकों चलाये जा रहे दमन चक्र की

घटनाओ का विस्तार से वर्णन किया जाता था , जिससे की देश की जनता इन घटनाओ के बारे में जान सके और जन साधारण में देशप्रेम की भावना बलवती हों सके ।

छत्तीसगढ़ में समाचार पत्र की आवश्यकता

1861 के दशक में समाचार पत्रों के प्रति लोगों का रुझान बहुत कम था, अतः समाचार पत्र लगभग नहीं के बराबर ही थे। चीफ कमिश्नर का ब्रिटिश प्रेस था जिसमें सरकारी अभिलेख प्रकाशित किए जाते थे किंतु 1870 से 80 के बीच समाचार पत्रों को काफी प्रोत्साहन मिला परिणाम स्वरूप सेंट्रल प्रोविंसेस न्यूज नामक समाचार पत्र अस्तित्व में आया। इसमें स्थानीय घटनाओं की चर्चा की जाती थी। यह समाचार पत्र हिंदी उर्दू एवं मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था, परंतु यह पत्र सरकारी था शीघ्र ही सरकारी गजट में बदल गया। मध्य प्रांत से पहला समाचार पत्र होशंगाबाद से ''जबलपुर'' समाचार के नाम से प्रकाशित किया गया। बाद में यह पत्र जबलपुर से निकलना आरंभ हो गया किंतु 2 वर्ष के बाद यह समाचार पत्र भी बंद हो गया क्योंकि इस पत्र के माध्यम से जनता को राजनीतिक पाठ पढ़ने का प्रयास किया जा रहा था। दूसरा समाचार पत्र मराठी भाषा में फणीन्द्रपुर मणीप्रकाश नागपुर से प्रकाशित हुआ परंतु यह भी 1878 में बंद कर दिया गया। 19 अक्टूबर 1878–जनवरी 1880 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने के योग्य है क्योंकि, इसी दिन भारत में समाचार पत्र का अवतरण हुआ। लोगों में जागरूकता एवं उत्सुकता की भावना बलवती हुई, कि संसार में क्या हो रहा है।

1884–85 तक 4 विभिन्न भाषाओं में 6 समाचार पत्र प्रारंभ किए गए । कोई भी समाचार पत्र मध्य प्रांत में लंबे समय तक नहीं चल सका। तिलक के समर्थकों द्वारा "देश सेवक" की स्थापना 1890 में की गई। अब छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसे समाचार पत्र की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो लोगों में सामाजिक व राजनीतिक चेतना के साथ–साथ स्थानीय घटनाओं एवं क्रियाकलापों की जानकारी भी प्रदान करें। इस चुनौती को पंडित माधवराव सप्रे ने स्वीकार किया वे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा समाचार पत्र प्रकाशित करवाना चाहते थे जो तत्कालीन पत्रों से थोड़ा हटकर हो।

समाचार पत्रों के प्रकाशन के प्रमुख उद्देश्य

पत्रों का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि आम जनता की सेवा करना था । इन समाचार पत्रों ने लोकप्रिय पुस्तक आंदोलन को बढ़ावा दिया इनका प्रभाव केवल शहरों और कश्मीर तक की सीमित नहीं था बल्कि दूर दराज के गांव तक भी इनकी पहुंच थी , जहां प्रत्येक समाचार और संपादकीय को पढ़ा जाता था और उसे पर गहन चर्चा भी की जाती थी । इन समाचार पत्रों में सरकारी अधिनियमों और नीतियों के गहन जांच पड़ताल की जाती थी । यह समाचार पत्र सरकार के विरोध की संस्था के रूप में कार्य किया करते थे । सरकार ने समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए कई कानून लागू किए गए जैसे धारा 124 ए जिसमें कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संतोष फैलाने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास या किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है। हमारे निडर पत्रकारों ने इन कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए चतुरता पूर्ण रण नीतियां विकसित की । जैसे सरकार की आलोचना करने वाले लेखों की शुरुआत सरकार के प्रति वफादारी की भावना से की जाती थी या इंग्लैंड के समाचार पत्रों से समाजवादियों या आयरिश राष्ट्रवादियों के आलोचनात्मक लिखो के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे। यह एक कठिन कार्य था क्योंकि इसमें सरलता के साथ–साथ सूक्ष्मता का भी प्रदर्शन अत्यंत आवश्यक था । भारतीय समाचार पत्र लॉर्ड लिटन के प्रशासन के प्रति विशेष रूप से 1876 से 1877 के काल के पाटो के साथ किए गए आम आदमी व्यवहार के संबंध में अत्यधिक आलोचनात्मक हो गए थे । सरकार ने 1878 का स्थानीय भाषा का प्रेस अधिनियम लागू किया,जिसमें स्थानीय भाषा के प्रेस पर बेहतर नियंत्रण की बात कही गई थी और यह अधिनियम राजद्रोह पूर्ण लेखन को प्रभावी ढंग से दबाने का कार्य करता था । ब्रिटिश शासन के दौरान भारत समर्थक समाचार पत्र ने समाज में आने को बदलाव प्रस्तुत किया, जिससे भारतीयों की सोच में विभिन्न प्रकार के बदलाव की लहर दिखाई दी। समाज में

प्रचलित बुराइयों जैसे निरक्षरता, बेरोजगारी, जाति, धर्म, लिंग, नसल आदि के नाम पर भेदभाव, इन समाचार पत्रों के माध्यम से दूर करने के प्रयास किए गए । पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त इन सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया गया । समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन विदेशी सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करना था । देश के समाज सुधारक और देशभक्त मुख्य रूप से इन समाचार पत्रों और राष्ट्रीय पत्रकारिता का प्रमुख अंग हुआ करते थे । पत्रकारिता एवं पत्र पत्रिकाओं का उपयोग देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए किया जाता था । इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता के मन में सामाजिक जागरूकता पैदा करने का पूर्ण प्रयास किया गया, जिससे कि सामाजिक बुराइयों का निराकरण हो सके।देश की जनता भी पत्र पत्रिकाओं के महत्व को भली भांति समझने लगी थी । निरक्षता के बावजूद भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नागरिकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने एवं जानकारी प्रेषित करने में रुचि दिखाना आरंभ कर दिया था । देश के युवाओं ने बड़ी संख्या से पूरे उत्साह और समर्पण के साथ इन पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया।

समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हेतु प्रमुख बाधायें

प्रिंटिंग प्रेस एवं जगह की अनुपलब्धता रहती थी। सरकार के द्वारा भारतीयों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे । प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार एक बड़ा खतरा थी ।

ब्रिटिश विरोधी सामग्री प्रकाशित करने की अनुमति प्राप्त नहीं थी । प्रेस की स्वतंत्रता पर अनेकों बंधन लगाए गए थे । और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी।

प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाये गये प्रतिबन्ध

जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था । "बंगाल गैजेट" या "कोलकाता जनरल एडवरटाइजर्स" ने भारतीय पत्रकारिता के गौरवशाली सफर की शुरुआत की,लेकिन कंपनी के भ्रष्ट्र अधिकारियों के आचरण एवं मुख्य रूप से गवर्नर एवं मुख्य न्यायाधीश आदि पर व्यक्तिगत हमलो के खुलासों के कारण 1782 में ही भारत के पहले समाचार पत्र को जप्त कर लिया गया और हिक्की को मानहानी के आरोप में कारावास और भारी जुर्माना भरना पड़ा। भारतीय प्रेस के प्रारंभिक वर्षों में 1795में मद्रास गैजेट पर पहली बार सेंसरशिप लगाई गई थी। कुछ वर्षों बाद भारत के पांचवें गवर्नर जनरल लार्ड वेलेजली ने 1799 में सेंसरशिप लागू करने के एक और प्रयास किया।स्वतंत्रता पूर्व काल में समाचार पत्र पत्रिकाओं को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता था जिसमें प्रमुख दो विशेषताएं थी ं, एक तो सरकार के वक्र दृष्टि और दूसरी आर्थिक अभाव की कुदृष्टि । दो समस्याओं के फल स्वरुप तत्कालीन पत्रकारों को पत्रकारिता को अपना मुख्य लक्ष्य बनाना कठिन हो गया था इस संदर्भ में बनारसी दास चतुर्वेदी बताते हैं कि कई संपादक को एवं पत्रकारों के घर तक नीलाम हो गए क्योंकि उसे समय किसी भी पत्रकार या संपादक ने धन कमाने की इच्छा से पत्रकारिता आरंभ नहीं किया था बल्कि उसे समय देशवासियों के मन में राष्ट्र प्रेम की अलग जगाना तथा राष्ट्रवादी विचारधाराओं को जन–जन तक पहुंचाना ही इनका उद्देश्य था हम कह सकते हैं कि उस वक्त पत्रकारिता का इतिहास अद्भुत संघर्ष त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है। कितने ही पत्रकारों का जीवन खाद की तरह इस मिट्टी में खप गया। (वर्मा)

इसी संदर्भ में डॉक्टर अर्जुन तिवारी कहते हैं कि हिंदी पत्रकारिता के विकास की एक कहानी संघर्षपूर्ण थी । पत्र प्रकाशन के पग पग पर कांटे बिछे हुए थे। समय–समय पर प्रकाशित सरकारी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि अनायास ही संपादकों को चेतावनी देना, पत्रों को जब्त कर लेना या प्रेस को तहस कर देना ब्रिटिश उच्च अधिकारियों की हॉबी थी। (तिवारी) पत्रकारिता के इस तीव्र रूप से अंग्रेजी सत्ता कितने भयभीत हो गई कि कई संपादकों और पत्रकारों पर मुकद्दमे चलाकर उन्हें जेल के सीकचों में बंद कर दिया गया। परंतु देश की स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत इन

पत्रकारों और संपादकों ने अपनी पत्रकारिता में त्याग को सहजता से स्वीकार किया और झुके नहीं। इसमें अंबिका प्रसाद बाजपेई, बाबू राव, विष्णु पराड़कर, विष्णु दत्त शुक्ला, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल चक्रवर्ती, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इन्होंने पत्रकारिता के हित में अपना सब कुछ त्याग दिया दूसरे शब्दों में हम कहें कह सकते हैं कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए एवं जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए इन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर हिंदी पत्रकारिता को ओजस्वी शब्दों की शैली प्रदान की।

समाचार पत्र पत्रिकाओं के बढ़ते हुए स्वरूप के कारण अंग्रेजों को यह भय व्याप्त हो गया कि कहीं प्रेस उनकी भारत में शासन करने की स्वास्थ्य पूर्ण नीतियों को उजागर न कर दे और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना बलवती ना हो जाए, ,इस डर से उन्होंने भारतीय प्रेस एवं साहित्य पर समय–समय पर विभिन्न प्रकार के दमनकारी प्रतिबंध लगाए परंतु इन प्रतिबंधों के बाद भी भारतीय पत्र पत्रिकाओं ने लगातार विकास किया और देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावनाओं को जगाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

स्वतंत्रता पूर्व समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, सामाजिक प्रतिक्रिया एवं टिप्पणियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन का असली चेहरा उजागर हो गया परिणाम स्वरुप ब्रिटिश शासन में क्रांतिकारी पुस्तकों के साथ–साथ पत्रिकाओं को भी जप्त करना आरंभ कर दिया सर्वप्रथम राजा राममोहन राय की पुस्तक मिरातुल अखबार राष्ट्रीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का "सोम प्रकाश" कालांतर में बंगाल में "वंदे मातरम", "युगांतर", "फॉरवर्ड ब्लॉक" जैसे पत्रों एवं पुस्तकों को जब्त किया जाना आरंभ कर दिया गया। स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पत्रिका में "प्रताप", "मर्यादा" आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वस्तु स्थिति है कि जब भी कोई लेखक या पत्र ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ जाता था तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का शिकार होना पड़ता था इस प्रकार उनके द्वारा हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाओं को जब्त कर लिया गया। अंग्रेजी सरकार की इन दमनकारी नीतियों से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी साम्राज्यवादी सरकार अपने विरोध में उठती हुई आवाज को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती । भारत में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के आरंभ होने के साथ ही ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रेस अधिनियम लागू करना आरंभ कर दिया गया था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रमुख भूमिका रही। प्रारंभ में प्रेस संबंधी कानून के अभाव में पत्र पत्रिकाएं, कंपनी के अधिकारियों की दया पर ही निर्भर रहती थी। समाचार पत्रों की संख्या एवं उनका प्रचार प्रसार बढ़ने के साथ ही सर्वप्रथम गवर्नर जनरल लार्ड वेलेजली ने 13 मई 1799 को पत्र पत्रिकाओं के प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रेस अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक एवं स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया गया था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले समाचार को पास करने के लिए सरकारी सचिव को देना पड़ता था। इन नियमों को भंग करने पर प्रकाशक को देश निकाले का दंड भुगतना पड़ता था।

1807 में यह अधिनियम पत्रिकाओं पंपलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया था 1999 के अधिनियम के अनुसार रविवार को पत्र का प्रकाशन नहीं किया जा सकता था । समाचार पत्रों के प्रचार प्रसार के साथ जनता की समाचार पत्रों के प्रति बढ़ते उत्सुकता ने पत्रों की विषय वस्तु आदि को काफी प्रभावित किया था जिसके कारण एक नवीन राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। भारतीयों के चेतना को दबाने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल के द्वारा समय–समय पर प्रेस को नियंत्रित करने के लिए कठोर अधिनियम पारित किए गए समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से जो प्रेस अधिनियम लागू किए गए थे उनका वर्णन इस प्रकार है

<u>समाचार पत्रों का परिरक्षण अधिनियम</u>

लार्ड वेलेजली ने 1799 में सरकारी सेंसर की नियुक्ति की जिसका कर्तव्य था प्रकाशन हेतु आई गई प्रत्येक वस्तु की जांच करना। लार्ड वेलेजली सहन नहीं कर सकता था कि कोई भी समाचार पत्र ऐसे तथ्य प्रकाशित करें जो उसकी फ्रांस अथवा भारतीय रियासतों के विरुद्ध किसी दुर्बलता को प्रकट कर दे अतः उसने 1799में समाचार पत्रों का परिरक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्ध कालीन सेंसर लागू कर दिया जिसके अनुसार समाचार पत्र को

संपादक मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था एवं प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व परीक्षण के लिए भेजना होता था इन नियमों को भंग करने पर तुरंत देश निकालने का दंड दिया जाता था 1807 में यह अधिनियम पत्र पत्रिकाओं पंपलेट और पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया था।

लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813 से 1823) ने इस नियम को कठोरता से लागू नहीं किया और 1818 में प्रेस सेंसरशिप को समाप्त कर दिया, परंतु सामान्य नियम बनाकर उन विषयों की चर्चा पर रोक लगा दी गई जिसके कारण सरकार को उनके अधिकारों एवं जनहित को किसी भी रूप में क्षति पहुंचाने की आशंका हो। इस नियम के अनुसार संपादकों को निम्नलिखित विषयों पर विचार प्रकट करने के आदेश नहीं थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कार्य अथवा इंग्लैंड के उन अधिकारियों के कार्य जो भारत सरकार से संबंधित है वे विषय जो गवर्नर जनरल उनकी काउंसिल के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय के न्यायाधीशों आदि से संबंधित हो उन विषयों को भी छापने की मनाही थी जिससे स्थानीय लोगों में कोई भय अथवा शंका उत्पन्न हो। इन रोकों से स्पष्ट हो जाता है कि लॉर्ड हेस्टिंग इस तथ्य को अच्छी तरह से जानते थे कि यदि पत्रों पर से संपूर्ण रूप से सारे नियंत्रण हटा दिए जाएं तो निदेशक मंडल की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी। उन्होंने अपने मंतव्य में स्पष्ट कर दिया कि मैं चाहता हूं कि प्रशासन में जनमत के प्रति एक जिम्मेदार रुख पैदा हो।

1823 का अनुज्ञप्ति अधिनियम (लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट)

इस अधिनियम ने प्रेस के विरुद्ध फिर से दमनकारी कार्यवाहियां शुरू करती थी जिसका राजा राममोहन राय और उनके राष्ट्र वादी दोस्तों ने विरोध किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी अर्जी ना मंजूर कर दी गई और प्रेस पर प्रतिबंध लग रहे यह आदेश दिया गया कि सार्वजनिक संवाद और सरकारी कार्यवाहियों की आलोचना से संबंधित कोई भी पत्र पत्रिका या बिना लाइसेंस के प्रकाशित नहीं हो सकती लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक हलफनामा देना पड़ता था जिसमें मुद्रा प्रकाशक और मालिक का नाम लेना जरूरी था यह लाइसेंस कभी भी रद्द किया जा सकता था और बिना लाइसेंस प्रकाशन पर 400 रुपये जुर्माना किया जाता था इस प्रकार सरकार की मर्जी के बिना पुस्तकों और पत्रों के मुद्रण और छापेखाने के उपयोग को सजा के योग्य अपराध करार दे दिया गया। यह आज्ञा विशेष तौर से उन समाचार पत्रों के लिए थी जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाते थे। लाइसेंस के बिना कोई भी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित नहीं किया जा सकता था सरकार इस लाइसेंस को किसी भी समय निरस्त कर सकती थी 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरुप निर्मित स्थिति से निपटने के लिए लाइसेंस एक्ट बनाया गया था बीच में रोका जा सकता था।(ओमप्रभा)

कंपनी के कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम द्वारा 1823 में जारी किए गए पहले प्रेस अध्यादेश में कहा गया था कि सभी सामग्री गवर्नर जनरल इन काउंसलिंग के लाइसेंस के तहत मुद्रित और प्रकाशित की जानी चाहिए, जिस पर सरकार के मुख्य सचिव के हस्ताक्षर हो। पांच अन्य प्रख्यात बंगाली हस्तियों के साथ राजा राममोहन राय ने अपने फारसी समाचार पत्र मिलाद उल अखबार बुद्धि का दर्पण को एडम के घृणित प्रतिबंध से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, ।

इतिहासकारों का दावा है कि 1823 का प्रेस अध्यादेश मूल रूप से 1878 प्रेस अधिनियम का पहला भाग था जिसे भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा भारत के हिंदी भाषा समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लगाया गया था। 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी को अपनाया गया जिसमें राजद्रोह के दंड हेतु धारा 99 ए 99 जी 124 ए और 505 शामिल थी। धारा 124 ए में कहा गया था, कि जो कोई भी मौखिक है लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा दृश्य प्रस्तुति द्वारा यह किसी अन्य माध्यम से भारत में स्थापित सरकार के प्रति निर्णय अवमानना उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है या उसके प्रति असंतोष व्यक्त करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं उसे आजीवन कारावास या इससे कम अवधि के लिए निर्वासन की सजा दी जाएगी जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा

सकता है या 3 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है या केवल जुर्माना लगाया जाएगा।

देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878

1857 के महान विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजी समाचार पत्र सदैव सरकार का समर्थन करते थे जबकि देसी समाचार पत्र की संख्या में 1857 के विद्रोह के बाद तीव्रता से वृद्धि हुई और ये पत्र सरकार की आलोचना किया करते थे । भारतीय प्रेस ने 1870 के दशक में मजबूती से अपने पैर जमा लिए थे । लॉर्ड लिटन के प्रशासन की तो इन पत्र पत्रिकाओं ने खुलकर आलोचना की । *खासतौर से 1875– 1877 में अकाल पीड़ितों के साथ ब्रिटिश सरकार के अमानवीय रवैये की जबरदस्त आलोचना अखबारों के द्वारा की गई । 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया यह कानून हिंदी भाषा के समाचार पत्रों पर रोक लगाने के लिए ही बनाया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार को और समाचार पत्रों से खतरा महसूस हो रहा था।*

1877 में महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनीं । भारतीय भाषाई प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागु किया गया । 1878का वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया और पूरे देश में प्रेस पर रोक लगा दी गई। अधिनियम के अनुसार, देश में प्रत्येक भाषा के समाचार पत्र के मुद्रक और प्रकाशक को एक बांड भरना होगा जिसमें यह घोषणा करनी होगी कि वे ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं करेंगे जो सरकार के प्रति असंतोष या विभिन्न नस्लों, जातियों और धर्मों के व्यक्तियों के बीच नफरत की भावनाओं को उत्तेजित करेगा। यह अधिनियम भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर एक गंभीर आघात था।

वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का असर मध्य प्रदेश में भी हुआ, जहां 'मालवा अखबार' लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीति का शिकार हो गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू करने से पहले,लॉर्ड लिटन ने 14 अप्रैल, 1878 को दिए अपने भाषण में 'मालवा अखबार' का उल्लेख किया था। 'मालवा अखबार' के संपादक को कारावास की सजा दी गयी , और इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। यह राष्ट्रीय स्तर पर जागृति लाने में एक वरदान सिद्ध हुआ,क्योंकि प्रत्येक शिक्षित भारतीय को एक ऐसी पत्रिका पढ़ने का लाभ मिला जो स्थानीय भाषा में उपलब्ध थी।

द न्यूजपेपर एक्ट

सरकार के विरुद्ध बढ़ते हुए शासन विरोधी भावनाओं तथा आलोचनाओं को रोकने के लिए और राजनीति में उग्र दल के उदय और विकास से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए 198 में द न्यूजपेपर एक्ट पास किया गया था।

1910 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम

इस अधिनियम के अधीन जिलाधीश को किसी भी प्रचलित असामान्य समाचार पत्र के प्रकाशक अथवा छापेखाने के मालिक से रु 500 से लेकर रु 5000तक के जमानत लेने के अधिकार दे दिए गए थे । यह जमानत किसी भी सरकार विरोधी अथवा आपत्तिजनक लेख लिखने पर जप्त हो जाती थी इस स्थिति में पंजीकरण के साथ–साथ जमानत भी रद्द की जा सकती थी । यदि प्रकाशक दोबारा पंजीकरण करवाना चाहता था तो उसे इस अधिनियम के अधीन रु 10000 जमानत के रूप में देने पड़ते, परंतु इसके बाद भी यदि समाचार पत्र में सरकार विरोधी कोई खबर प्रकाशित की जाती तो सरकार इसके प्रकाशन से संबंधित छापेखाने से समाचार पत्र या पुस्तक की सभी प्रतियों को जब्त कर सकती थी तथा उसका पंजीकरण भी रद्द कर सकती थी । इसके दो माह के अंदर ही प्रकाशक स्पेशल ट्रिब्यून के पास अपील भेज सकता था । प्रत्येक प्रकाशक को समाचार पत्र की दो प्रतियां बिना मूल्य सरकार को देने होती थी ।

अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध लेख लिखने के लिए सबसे प्रसिद्ध मुकदमा लोकमान्य तिलक पर चलाया गया था । "केसरी" के कुछ लेखों पर आपत्ति करते हुए तिलक को 6 वर्ष के लिए काला पानी की सजासुना दिया गया । किंतु इस गतिविधि के कारण सरकार विरोधी अथवा समाचार पत्रों की कोई भी कमी नहीं हुई बल्कि सरकार पर लोगों का भरोसा

उठने लगा। इसके पश्चात 1921 1931 में भारतीय प्रेस आपातकालीन अधिनियम 1932 में विदेश संबंधी अधिनियम 1934 में भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1944 में प्रेस कानून जांच समिति इत्यादि एक्ट पास किये गये।

भारतीय प्रेस पर ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण तथा समय–समय पर लगाए गए प्रतिबंधों से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि भारतीय प्रेस का इतिहास संघर्षों से परिपूर्ण रहा है । इन दमनकारी प्रतिबंधों के बाद भी भारतवासियों में जन जागृति की भावना को जागृत करने तथा स्वतंत्रता संग्राम के गरिमा को बनाए रखने में तथा भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में प्रेस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के तमाम प्रयासों के बावजूद राष्ट्रवादी नेताओं ने समाचार पत्रों को देशभक्ति के प्रचार और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनमत निर्माण के साधन के रूप में इस्तेमाल किया।

छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन और राष्ट्रीयता

यद्यपि 1857 की क्रांति कुछ समय के लिए दबाई गई परंतु विद्रोह की ज्वाला भीतर ही भीतर सुलगती रही। बिलासपुर जिले में आक्रोश की अभिव्यक्ति 1900 में "छत्तीसगढ़ मित्र" समाचार पत्र के प्रकाशन के रूप में हुई।

छत्तीसगढ़ की जनता को शिक्षित करने के लिए सप्रे जी ने रायपुर से 1909 में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन आरंभ किया ,जिसका उद्देश्य जनता को शिक्षित करना एवं उनमे राष्ट्रीयता की भावनाओं को जागृत करना था। (सप्रे 1907) जनता में राजनीतिक जन जागरण के लिए समाचार पत्रों का महत्व गुरुमुख निहाल सिंह के शब्दों में इस प्रकार बताया गया है "आरंभ में कोई राष्ट्रीय मंच नहीं था और उसका काम समाचार पत्रों ने किया उन्होंने शिक्षित वर्गों को जगाया उनमें स्वदेश के प्रति भक्ति की भावना और राष्ट्रीय चेतना के बीच बाय तथा राष्ट्रीयता का निरंतर प्रचार किया।" माधव और सप्रे के छत्तीसगढ़ मित्र ने छत्तीसगढ़ में वही भूमिका निभाई जो महाराष्ट्र में केसरी ने निभाई थी। 13 अप्रैल 1907 को कांग्रेस दल के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए माधवराव् सप्रे में पुणे के मराठी समाचार पत्र केसरी की भांति ही हिंदी केसरी पत्र का आरंभ किया। इसके प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता में देश के प्रति जन जागृति उत्पन्न करना था। केसरी का शाब्दिक अर्थ जनता को निर्भीक बनाना था। हिंदी केसरी के संदर्भ में सप्रेजी ने लिखा था कि विज्ञापन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि अब तक जो विचार केवल मराठी में प्रकट होते थे अब हिंदी में भी प्रकाशित होंगे। सरकार ने वर्तमान राजनीति और शासन पद्धति में परिवर्तन के उपाय पर अब विचार किया जाएगा कि किस प्रकार आर्य माता दासत्व से मुक्त होकर स्वराज का सुख कारी मुकुट अपने मस्तक पर धारण करेंगी। (राठौड़) केसरी ने एक और लेख में लिखा कि भारतीय जनता संग्राम के लिए तैयार है दूसरे में छात्र एवं राजनीति तीसरे में बंगाल की सभाओं पर प्रतिबंध और चौथा लेख बंगाल के उपद्रवों का था यह लेख काफी उत्तेजक थे। अच्युत बलवंत कोल्हटकर को अरविंद घोष के आपत्तिजनक भाषण प्रकाशित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 1908 में कठिन कारावास की सजा दी गई। इस घटना ने अन्य समाचार पत्रों को भी प्रभावित किया जिसमें से "हिंदी केसरी" उल्लेखनीय है इसके संपादक माधव राव सप्रे को भी एक आपत्तिजनकलेख प्रकाशित करने के कारण दोषी ठहराया गया किंतु गिरे हुए स्वास्थ्य के कारण उन्हें क्षमा कर दिया गया। यह समाचार पत्र दोबारा प्रकाशित नहीं किया जा सका किंतु इसकी कमी हमेशा महसूस की गई क्योंकि यह समाचार पत्र जनसाधारण में अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ चुका था। (राठौड़) 1910 से 1920 के दशक में समाचार पत्रों की संख्या 32 से बढ़कर 46 ही हो पाई थी। 1911 में आरंभ हुआ हितवाद जिसका प्रकाशन नागपुर से होता था मध्य प्रांत का प्रमुख समाचार पत्र बन गया यह समाचार पत्र भी राजनीतिक समाचारों को प्रसारित करने का एक माध्यम बन चुका था। जनमानस तक राष्ट्रीयता संबंधी विचारों को उजागर करने के लिए उस काल में समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान था।राष्ट्रीय पत्रकारिता पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को हवा मिली। (नारायण) यदि समाचार पत्र लोकमत को प्रेरित नहीं करते तो राष्ट्रीय आंदोलन इतना सशक्त नहीं हो सकता था।

पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के आरंभ के दिनों में अंखवारों पर अंग्रेजों का ही वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन शिक्षित भारतीयों ने इन समाचार पत्रों के महत्व को समझा एवं भारतीयों के मन में स्वशासन की भावना जगाने के उद्देश्य से विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक क्रांति की शुरुआत की गई। अखबारों के माध्यम से भारतीयों पर किए गए अत्याचारों का खुलासा किया जाने लगा तथा देश के हर कोने में विदेशी शासको को देश से भगाने के लिए तरह–तरह के नारे सुनाई जाने लगे । इस प्रकार यह अखबार ब्रिटिश सरकार को देश से भागने और स्वशासन स्थापित करने का एक सशक्त और निर्णायक साधन बन चुके थे । स्वतंत्रता पूर्व क्रांतिकारियों के बलिदानों को भी समाचार पत्रों में इस प्रकार चित्रित किया जाता था कि पूरे देश में विदेशी सरकार के प्रति नफरत की भावना जागृत हुई। इस प्रकार भारतीय पत्रकारिता ने यह सिद्ध कर दिया की कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने हेतु भी इन समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रमुख योगदान रहा। कह सकते हैं कि समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भारतीयों के मन में ज्ञान के बीज अंकुरित किये और इस ज्ञान के प्रकाश से उन्हें स्वतंत्रता के महत्व को समझने की शक्ति प्राप्त हुई, जिससे कि अंत में हमारे स्वतंत्रता सेनानी एवं संपूर्ण नागरिक अंग्रेजों को देश के बाहर निकाल फेंकने में सफल हुए और आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। (मिस जाकिया तस्मीन रहमान 2018)

सन्दर्भ सूची

अंबिका प्रसाद वाजपेई समाचार पत्र कला 1996 पेज 2. (दि.न.).

एन एस पटेल. (1993). बिलासपुर जिले में स्वतंत्रता आंदोलन 1900 से 1947 ई. .

कॉलेट और सरकार. (दि.न.). *पुस्तक द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ राजा राममोहन राय 1914.*

गुरमुख सिंह निहाल. (दि.न.). *लैंड मार्क्स ओं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट पार्ट 1 पेज 101.*

छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन लेख पेज 156. (दि.न.).

डॉ अर्जुन तिवारी. (दि.न.). स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी पत्रकारिता पृष्ठ 16.

डॉ धीरज कुमार चौधरी ओमप्रभा. (दि.न.). औपनिवेशिक भारत में प्रेस और सरकारी प्रतिबंध वॉल्यूम 10 इश्यू 1 2024 पेज 15 से 17.

डॉ मृदुला वर्मा. (दि.न.). *हिंदी की सर्वोदय पत्रकारिता.*

डॉ सम्मुख नागनाथ मुच्छटे. (सितंबर 2018). हिंदी पत्रकारिता और भारतीय स्वतंत्रता वॉल्यूम 7.

देवी सिंह राठौड़. (दि.न.). *पंडित माधव राव सप्रे जीवन और साहित्य पेज 198 .*

नटराजन जे. (1955). *"हिस्ट्री ऑफ़ इंडियन जर्नलिज्म ." : 68 -69.*

प्रधान डा.पिताबस. (2019). भारतीय प्रेस और स्वतंत्रताआन्दोलनए

प्रेम नारायण. (दि.न.). *प्रेस एंड पॉलीटिकल इन इंडिया 1987 पेज 287.*

माधव राव सप्रे. (1907). माधव राव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका पेज 107.

मिस रेहाना जैस्मिन रहमान मिस जाकिया तस्मीन रहमान. (2018). एन एनालिटिकल स्टडी ऑन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनेलिस्म जर्नलिज्म . *पश्रडैम वॉल्यूम 9 इशू 8 पृष्ठ 84.*

रागिनी अग्रवाल. (दि.न.). मध्य प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन .

(दि.न.). *राजनीतिक समाचार पत्र डायरेक्टरी पेज 193 .*

सिन्हा 2019. (दि.न.).

सुरेश मणि त्रिपाठी. (1985). मध्य प्रांत में स्वतंत्रता संघर्ष (1919 - 1933) शोध प्रबंध .